

5/3/2024

पत्रावली पैदा हुई। वकील अपीलान्त उपा
वकील अपीलान्त द्वारा अपील में अहित व्यक्तियों
को दोहराने हुए कहा कि अपीलार्थीमान
द्वारा एक वयनामा दिनांक 22/04/2023 को
खसरा नम्बरान 332 रकवा 0.19, 553 रकवा
0.25 वाले ग्राम बुढवारी खुदी तहसील नरसबई
में अपीलार्थी सं. 1 को 1/2 व अपीलार्थी सं.
2 व 3 को 1/2 हिस्से का करवाया गया।
जिन पर अपीलार्थी खातेदार काब्रकार सुबिज
हैं। उक्त वयनामा नामान्तरण संख्या 614
दिनांक 31/03/2024 पर दर्ज किया गया। उक्त
नामान्तरण को वेवजह निरस्त कर दिया गया,
न ही ठोड बुढवारी नोटिस जारी किए गये।
और न ही विधिक नियमों की पालना की
है। आधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण निरस्त
करना चुट्टे पूर्ण है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है
अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आदेश न्यायालय
तहसील ग्राम पंचायत खसरी ग्राम पंचायत नरसबई
दिनांक 6/03/2023 बाबर दाखिला खारिज नामान्तरण
संख्या 614 ग्राम बुढवारी खुदी निरस्त करमाया जावे
व मुदाबिध वयनामा दिनांक 22/04/2023



रजिस्ट्रार अदालत
नरसबई (भरतपुर)

हमने अपीलार्थी वकील की बहल के
जुना/पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर
अवकाश आलोकन किया। बहल पर मनन किया तो
पाया कि वयनामा दिनांक 22/04/2013 के संबंध
में विवादित आराजी के संबंध में कुछ जांच
नहीं की गई। तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा
विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया है, जिसके
अन्तर्गत संबंधित काबलदार, खालेदार जो नामान्तरी
से संबंधित है, को नोटिस जारी किया जाता
है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किए
जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की
जाकर आदेश नामान्तरी संख्या 614 दिनांक
6.03.2023, ग्राम बुधवारी खुर्द को निरस्त
किया जाता है। पत्रावली तहकीलदार नदबई
को इस निर्देश के साथ प्रतिलिपि प्रेषित
की जाती है। कि वे समयसमय को सुनकर
एवं रजिस्टर्ड वयनामा की जांच कर
पुनः नामान्तरी की कार्यवाही करें। निर्णय
प्रति तहकीलदार नदबई को पालना
मैली आवे।

-पत्रावली कुशल कुमार होवर
नम्बर ले कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (मरतपुर)